कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव,

उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग. 494334

Mail Id – mis.kanker@gmail.com | पता-जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,

-:: विशेष अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन ::-

क्रमांक/....956..../जिला शिक्षक /भर्ती/2025-26 कांकेर, दिनांक 28./4./2026

// विज्ञापन//

जिला प्रशासन, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की महत्वपूर्ण योजना हमरलक्ष्य के तहत जिले के दुरस्थ अंचल क्षेत्र दुर्गूकोंदल में एजुकेशन हब का निर्माण किया जा रहा है जहाँ कक्षा 01 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी का अध्ययन-अध्यापन विषय-विशेषज्ञों हेतु मानदेय आधार पर विशेष अतिथि शिक्षक के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु आवेदन जिले की अधिकारिक वेबसाईट www.kanker.gov.in में जारी लिंक के माध्यम/संलग्न निर्देश के माध्यम से ऑनलाईन वेबसाईट के माध्यम से आवेदन आंमत्रित किया जाना प्रस्तावित है ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि ..15/05/26 सायं 05:00 बजे तक निर्धारित है। उपरोक्तानुसार विद्यालयों में रिक्त पदों सुची निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	पद नाम	विषय	पद माध्यम	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	7
1	सहायक शिक्षक	-	हिन्दी	3	
2	शिक्षक	अंग्रेजी	अंग्रेजी	1	
3	शिक्षक	गणित	हिन्दी	1	
4	शिक्षक	समाजिक विज्ञान	हिन्दी	1	
5	शिक्षक	संस्कृत	हिन्दी	1	
6	व्याख्याता	अंग्रेजी	अंग्रेजी	2	
7	व्याख्याता	गणित	हिन्दी	2	
8	व्याख्याता	भौतिक	हिन्दी	1	
9	व्याख्याता	रसायन	हिन्दी	1	
10	व्याख्याता	जीवविज्ञान	हिन्दी	1	
11	व्याख्याता	वाणिज्य	हिन्दी	1	
12	व्याख्याता	लेखाशास्त्र	हिन्दी	1	
12	व्याख्याता	हिन्दी	हिन्दी	1	
13	व्याख्याता	संस्कृत	-	1	
			कुल रिक्त पद	18	

D:\UC

➤ **उपरोक्त रिक्त पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ निम्नानुसार है:-**

क्र.	पदनाम	मानदेय	न्यूनतम शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता
1	2	3	4
1	व्याख्याता	25000/-	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं NCTE के अनुसार बी.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
4	शिक्षक	20000/-	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं NCTE के अनुसार बीएड अनिवार्य।
			3. NCTE के अनुसार उच्च प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अनिवार्य।
6	सहायक शिक्षक	15000/-	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ 12वीं उत्तीर्ण एवं NCTE के अनुसार डी.एड./डी.एलएड अनिवार्य।
			3. NCTE के अनुसार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य।

➤ **चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश एवं शर्तें :-**

1. अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आवेदकों की सम्पूर्ण शिक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/वि.वि. से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त पद को वेतन डीएमएफ मद से दिया जा रहा है इस हेतु यह भर्ती सिर्फ एक वर्ष के लिए होगी अन्य वर्ष में राशि स्वीकृत होने पर समिति के निर्णय अनुसार संबंधित के कार्य में वृद्धि किया जायेगा।
3. उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है। कार्य व्यवहार नियमानुसार नहीं पाये जाने पर कर्मी को किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकता है।
4. छ.ग. राज्य के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे, इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
5. शिक्षक वर्गीय पदों के लिए बी.एड./डी.एड जो किसी भी नाम से जाने जाते हों शासन द्वारा परिभाषित अनुसार मान्य होंगे।
6. शिक्षक/कर्मचारियों की व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए होगी। दीर्घ-कालिक अवकाश की पात्रता नही होगी।
7. निर्धारित आयु सीमा :-
   - अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 मे दी गई 05 वर्ष की छूट होगी।
   - यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयुसीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। महिलाओं को शासन द्वारा प्रदान 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

D\UC

आयु की पुष्टि हेतु मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आयु सीमा में उपलब्ध छूटें छ0ग0 शासन द्वारा जारी नवीनतम आदेश/निर्देशों के अधीन होगी।

8. नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों का प्रतिवर्ष आंकलन किया जावेगा। डीएमएफ से आगामी वर्ष की कार्ययोजना स्वीकृत होने पर समिति के निर्णय अनुसार कार्यव्यवहार संतोषप्रद नही पाये जाने पर समिति द्वारा किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
10. **विज्ञापन के पदों की संख्या घटाई, बढाई जा सकती है,** अथवा पर्याप्त कारणों से विज्ञापन निरस्त किया जा सकता है।
11. समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत समिति विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी, जो सर्वमान्य एवं सभी के लिए बाध्यकारी होंगे।
12. **उक्त समस्त पद हेतु प्राप्त आवेदन के मेरिट के 30 अभ्यार्थी का 25 अंक का लिखित परीक्षा आयोजित किया जायेगा एवं समस्त पद के न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता के प्राप्तांको का 50 प्रतिशत अंक व लिखित परीक्षा के अंक तथा साक्षात्कार 25 अंको के योग के आधार पर अंतिम चयन/मेरिट सूची तैयार की जावेगी।**
13. यह नियुक्ति के पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासन/समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्युत की जा सकती है। नियुक्त शिक्षकों/कर्मचारियों के कार्यो का प्रतिवर्ष आंकलन किया जावेगा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा अपराधिक या अनुचित गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर या पद की आवश्यकता नही होने पर या डीएमएफ में कार्ययोजना स्वीकृत नही होन पर समिति द्वारा किसी भी समय सेवा से अलग किया जा सकता है।
14. समिति द्वारा विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशो के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तो से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी जो सर्वमान्य सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
15. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति विशेष अतिथि शिक्षक पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नही करेगा।
16. प्रतीक्षा सूची की वैधता इस विज्ञापन के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।
17. विशेष अतिथि शिक्षक की नियुक्ति उपरान्त एक वर्ष का अनुबंध किया जायेगा इस एक वर्ष में बिना अनुमती के **नियुक्ति समाप्त नही कर सकेगी।**
18. नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
19. ऑनलाईन आवेदन करते समय यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत/भ्रामक जानकारी प्रविष्टि की जाती है, जिसके आधार पर प्राविधिक पात्र/अपात्र सूची में स्थान बना कर अभ्यर्थी यदि दस्तावेज सत्यापन समिति के समक्ष ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि के संबंध में साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते है तो अभ्यर्थी को उसी समय भर्ती प्रक्रिया से पृथक कर दिया जावेगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।
२०. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कांकेर जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। अद्यतन जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in का नियमित अवलोकन करते रहें।

संलग्नः- ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने हेतु निर्देश।
(कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय एवं समिति सदस्यों द्वारा अनुमोदित)

(श्री रमेश कुमार निषाद)
जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ

D:\UC

क्रमांक/.....957..../जिला शिक्षक /भर्ती/2025-26 कांकेर, दिनांक 28../4../2026

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक (शिक्षा) संभाग-बस्तर, जगदलपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
7. सर्व संबंधित सदस्य, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उ.ब. कांकेर के समस्त उत्कृष्ट विद्यालय को सूचनार्थ।
8. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला कांकेर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.कांकेर को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित जिले के वेबसाइट में तत्काल अपलोड करने हेतु।
10. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड- दुर्गुकोन्दल जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ व सूचना पटल में चस्पा हेतु।

Sd

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

D.UC